परिशिष्ट–"अ"

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक–589 प्रश्नांश "क" से संबंधित जानकारी

- **जिला धार**–जिला धार अंतर्गत जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के द्वारा दिनांक 14 सितम्बर, 2018 के परिपत्र अनुसार जी.एस.टी. फार्म–7 में जानकारी सहित प्राप्त कटौती की राशि ऑनलाईन जमा की गयी है। विवरण इस प्रकार है:–

GSTIN of the Deductee	Trade Name	Amount paid to the Deductee on which tax in deducted	Integrated Tax	Central Tax	State/UT Tax	Date Of Deposit
1	2	3	4	5	6	7
23APFPJ3541R1ZN	Mamaji Tent House Dhar	624944	0	6250	6250	17.07.2020
23BEBPS1152R2Z8	Yesh Solutions	361864	0	3619	3619	17.07.2020
23AIRPC1736E1ZM	Tulsi Construction Compahy	4558989	0	45590	45590	10.03.2021
		3139400	0	31394	31394	10.03.2021
23AABCI9378F5ZG	Volve Eicher Commercial VE	1740302	0	17403	17403	10.07.2021

- **जिला बैतूल**–जिला पंचायत एवं जनपद पंचायतों में राशि 2.50 लाख से अधिक की सामग्री क्रय नहीं किये जाने के कारण जी.एस.टी. फार्म–7 जमा नहीं किया गया है।

- **जिला विदिशा**–जिला पंचायत एवं जनपद पंचायतों में राशि 2.50 लाख से अधिक की सामग्री क्रय नहीं किये जाने के कारण जी.एस.टी. फार्म–7 जमा नहीं किया गया है।

- **जिला रायसेन**–जिला पंचायत एवं जनपद पंचायतों में राशि 2.50 लाख से अधिक की सामग्री क्रय नहीं किये जाने के कारण जी.एस.टी. फार्म–7 जमा नहीं किया गया है।

31/7/2021

संयुक्त संचालक(वित्त)
पंचायत राज संचालनालय
भोपाल

परिशिष्ट ब

मध्य प्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय

क्रमांक / 20 / पंग्रावि / 2019 / दिनांक 15 / 01 / 2019

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत – समस्त
मध्यप्रदेश।

जिला पंचायत धार
शाखा लेखा
16 JAN 2019

विषय: जीएसटी अंतर्गत स्त्रोत पर कर का कटौत्रा।

—00—

1. भारत सरकार के राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक 65 / 39 / 2018–DOR दिनांक 14.09.2018 एवं मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, के परिपत्र क्रमांक 488 / 1947 / 1 / पांच दिनांक 22.08.2017 (संलग्न) द्वारा जीएसटी के अंतर्गत स्त्रोत पर कर की कटौत्री के निर्देश एवं स्टेन्डर्ड ऑपरेटिव प्रोसिजर (SOP) जारी किये है। अपंजीकृत डीलर / सेवा प्रदायकर्ता (भुगतान की राशि चाहे जितनी हो) द्वारा माल या सेवा या दोनों की दी गई सप्लाई पर कर कटौत्रा नही किया जाना है।

2. यदि ग्राम पंचायत / जनपद / जिला पंचायत के द्वारा किसी भी एक अनुबंध के अंतर्गत रूपये 2.50 लाख से अधिक के कर योग्य माल अथवा सेवाओं (या दोनों) की आपूर्ति जीएसटी में पंजीकृत एक सप्लायर्स से ली जा रही है तो उस निकाय को जीएसटी में डिटक्टर पंजीयन प्राप्त करना होगा। पूरी तरह गैर पंजीकृत सप्लायर्स से माल या सेवा लेने पर डिटक्टर पंजीयन की आवश्यकता नहीं है और स्त्रोत पर कटौता की आवश्यकता भी नहीं है।

3. निकायों को स्त्रोत पर कर कटौत्रा करने हेतु जीएसटी पोर्टल पर और सचिव / सहायक सचिव द्वारा PAN, आधार कार्ड, मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल के माध्यम से पंजीयन कराना होगा।

4. यदि किसी भी अनुबंध अंतर्गत सप्लायर से प्राप्त की गई कर योग्य माल या सेवा (या दोनों) की कीमत (जीएसटी को छोड़कर) रूपये 2.50 लाख से अधिक है, तो राज्य के भीतर से सप्लाई होने पर निर्धारित 2 प्रतिशत (1 प्रतिशत स्टेट जीएसटी एवं 1 प्रतिशत सेन्ट्रल जीएसटी) का कटौत्रा किया जाना है। अंतर्राज्यीय सप्लाई प्राप्त होने पर केवल 2 प्रतिशत आईजीएसटी का कटौत्रा होगा। दिनांक 01.10.2018 के पूर्व जारी टेक्स इनवाइस पर कटौत्रा नहीं करना है।

5. ऐसे मामलों में आंशिक या पूर्ण भुगतान करने पर GST (TDS) कटौत्रा किया जाना होगा। स्त्रोत पर किये गये कर के कटौत्रा को अगले माह की 10 तारीख तक शासन को जमा कराना तथा फार्म–जीएसटीआर–7 में आनलाईन रिटर्न भरना अनिवार्य है। (साथ ही कॉमन पोर्टल (https://www.gst.gov.in) के द्वारा जिस व्यक्ति से कटौत्रा किया गया है, उसको सिस्टम के द्वारा जनरेटेड फार्म–जीएसटीआर–7A में कटौती का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।) डिडक्टर द्वारा निर्धारित समय सीमा में फार्म–जीएसटीआर–7 में विवरण पत्र प्रस्तुत न करने पर रूपये 100 / – प्रतिदिन (अधिकतम रूपये 5000 / –) विलंब शुल्क CGST

3824
17-1-19

16 JAN 2019

(2)

एवं SGST के अधीन पृथक–पृथक देय होगा। फार्म–जीएसटीआर–7ए में प्रमाण पत्र निर्धारित में नहीं दिए जाने पर रूपये 100/– प्रतिदिन (अधिकतम रूपये 5000/–) विलंब शुल्क CGST एवं SGST के अधीन पृथक–पृथक देय होगा। डिडक्टर द्वारा टीडीएस नही करने, कम टीडीएस करने एवं टीडीएस की गई जितनी राशि नही काटी गई है या कम राशि काटी गई या नहीं जमा हुई राशि या रू. 10000/– जो अधिक हो, की शास्ति के प्रावधान है। जीएसटी के अंतर्गत स्त्रोत पर टीडीएस कटौत्रा करने के संबंध में विस्तृत निर्देश उपलब्ध है, जिसमें माल और सेवा को परिभाषित किया गया है तथा टेक्स कटौत्रा करने के संबंध में उदाहरण भी दिये गये है। यथा में टेक्स कटौत्रा से संबंधित विभिन्न सामान्य प्रश्न, उत्तर (FAQ) भी दिये गये है।

पंच–परमेश्वर पोर्टल पर स्त्रोत पर जीएसटी कटौत्रे का प्रावधान किया जा रहा है ताकि कटौत्रे की राशि तत्काल शासन को जमा कराने की सुविधा हो। जब तक पंचपरमेश्वर पोर्टल पर उक्त व्यवस्था नहीं होती है तब तक भुगतानकर्ता को जी.एस.टी. का कटौत्रा कर राशि का भुगतान किया जावे तथा जी.एस.टी की राशि जी.एस.टी. विभाग में जमा की जावे।

उक्त व्यवस्था को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा, जिस हेतु निर्देश पृथक से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नः 1. परिपत्र क्रमांक 65/39/2018–DOR दिनांक 14.09.2018
2. परिपत्र क्रमांक 483/1947/1/पांच दिनांक 22.08.2017
3. स्टेन्डर्ड ऑपरेटिव प्रोसिजर (SOP)

(अमित राठौर)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्रमांक/21/पंग्राविवि/2019/ दिनांक 15/01/2019

प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन वाणिज्यक कर विभाग मंत्रालय की ओर सूचनार्थ।
2. संभागीय आयुक्त समस्त म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त कलेक्टर म.प्र.की ओर सूचनार्थ।
4. समस्त, जनपद पंचायत की ओर सूचनार्थ।

सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग